

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 64/11

संस्थापन दिनांक:-25/03/11

फायलिंग नं. 233504000532011

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

बद्रीपाल पिता फगना पाल, उम्र 35 वर्ष,  
निवासी महतपुर, थाना बोरदेही,  
हाल निवासी देशबंधु वार्ड बैतूल,  
थाना बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 14.09.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 06.02.2011 को समय 06:00 बजे तिरमहू लालावाड़ी के बीच रपटा नामक लोकमार्ग पर वाहन कमांडर जीप क. एमपी-48-सी-1000 को उतावलेपन/उपेक्षापूर्वक ढंग से परिचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 06.02.2011 को शिवकिशोर के साथ अपनी बजाज केलीवर क. एमपी-48-बी-2073 से सामाजिक कार्यक्रम उमरिया से बैतूल जा रहा था। तभी तिरमहू के आगे रपटे पर सामने से एक जीप क. एमपी-48-सी-1000 के चालक ने तेजी व लापरवाही से जीप चलाकर उसकी मोटर सायकिल को ठोस मार दी जिससे उसे बांये हाथ, बांये पैर, दाहिनी पसली, नाक पर तथा शिवकिशोर को बांये पैर के घुटने एवं पिंढली, पीठ, कमर में चोट आयी। फरियादी द्वारा दर्ज करवायी गयी देहाती नालसी के आधार पर थाना आमला में कमांडर जीप क. एमपी-48-सी-1000 के चालक के विरुद्ध अपराध क. 41/11 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से महिंद्रा जीप क. एमपी-48-सी-1000 तथा फरियादी लक्ष्मीनारायण से मोटर सायकिल क. एमपी-48-बी-2073 जप्त कर जप्ती

पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी लक्ष्मीनारायण एवं आहत शिवकिशोर का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 338(दो काउंट में) भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 279 भा०दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन कमांडर जीप क्र. एमपी-48-सी-1000 को उतावलेपन/उपेक्षापूर्वक ढंग से परिचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

### **॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

#### **विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण**

6 लक्ष्मीनारायण (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना दिनांक को अपनी मोटर सायकिल से बोरगांव उमरिया से बैतूल की ओर आ रहे थे तभी लालावाड़ी तिरमहू के बीच में रपटे के पास सामने से एक जीप क्र. एमपी-48-सी-1000 के चालक ने मोटर सायकिल के पीछले चके पर टक्कर मार दिया जिससे मोटर सायकिल नीचे गिर गयी। जीप के चालक ने गाड़ी को तेजी से चलाकर लाया। शिवकिशोर (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना दिनांक को लक्ष्मीनारायण के साथ मोटर सायकिल में पीछे बैठकर बैतूल की ओर आ रहा था तभी सामने से एक जीप क्र. एमपी-48-सी-1000 आयी जिसे बद्रीपाल नामक ड्रायवर चला रहा था जिसकी जानकारी उसे बाद में प्राप्त हुई।

7 बसंत मिरासे (अ.सा.-7) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 06.02.2011 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। आरक्षक 555 संतोष ने थाना कोतवाली बैतूल से अपराध क्र. 0/11 की

देहाती नालीस कायमी हेतु थाने में पेश की थी जिस पर से उसके द्वारा अपराध क. 41/11 धारा 279, 337 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-10) लेख की गयी थी।

8 लख्खू साहू (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि दिनांक 17.02.2011 को अपराध क. 41/11 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा घटना का नक्शा मौका (प्रदर्श पी-2) तैयार किया गया। फरियादी लक्ष्मीनारायण की मोटर सायकिल जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-3) तैयार किया गया। उक्त मोटर सायकिल का नुकसानी पंचनामा (प्रदर्श पी-4) तैयार किया गया तथा दिनांक 25.03.2011 को अभियुक्त बद्रीपाल से एक जीप महिंद्रा क. एमपी-48-सी-1000 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-5) तैयार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-6) तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालानी कार्यवाही हेतु केस डायरी थाना प्रभारी को सौंपी गयी।

9 रोशन यादव (अ.सा.-6) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 25.03.2011 को थाना आमला में आरक्षक चालक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वाहन महिंद्रा मेजर क. एमपी-48-सी-1000 का मैकेनिकल परीक्षण किया गया जिसमें वाहन के सभी सिस्टम सही पाये गये। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि उसके द्वारा तैयार वाहन की परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-11) है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10 बसंत मिरासे (अ.सा.-7) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे देहाती नालीस (प्रदर्श पी-1) के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराते समय फरियादी उसके पास नहीं आया था। लख्खू साहू (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे केस डायरी धारा 279, 337 भा.दं.सं. की प्राप्त हुई थी। स्वतः में साक्षी ने कहा है कि एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा 338 भा.दं.सं. बढ़ायी गयी थी। इस सुझाव को सही बताया है कि घटना स्थल अत्यधिक गुलाई वाला रोड है परंतु साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि यदि कोई मोटर सायकिल वाला निकले तो सामने वाला दिखायी नहीं देता है।

11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र आहतगण की साक्ष्य है तथा आहतगण ने स्वयं अभियुक्त द्वारा वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाये जाने के संबंध में कथन नहीं किये हैं।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में कांताप्रसाद (अ.सा.-4) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह पूजन कार्यक्रम में

ग्राम बोरगांव गया था वहां से वापस आ रहा था। जब वे लोग मौके पर पहुंचे थे तब दुर्घटना हो चुकी थी। मौके पर एक पुरुष घायल अवस्था पर पड़ा था और एक घायल खड़ा था। क्षतिग्रस्त मोटर सायकिल को थाने पर पहुंचा दिया गया था फिर हम चले गये थे। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि उसके सामने कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। वह घटना के बाद मौके पर पहुंचा था। अतः उक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

13 लक्ष्मीनारायण (अ.सा.-1) एवं शिवकिशोर (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उनकी मोटर सायकिल को जीप क्र. एमपी-48-सी-1000 के चालक ने टक्कर मार दी थी। जीप का ड्रायवर गाड़ी को तेज चला रहा था।

14 लक्ष्मीनारायण (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह मोटर सायकिल चला रहा था। साक्षी ने यह भी बताया है कि वह सामने देख रहा था। सामने से आने वाली गाड़ी का नंबर 1000 था इसलिए उसे याद था। इस सुझाव को गलत बताया है कि जीप ने टक्कर नहीं मारी थी। स्वतः कहा कि सामने से जीप आ रही थी। बचाव के लिए वे साईड में हो गये। स्वतः कहा कि अगला चक्का पटरी के नीचे उतर गया और जीप ने पीछे वाले चक्के में टक्कर मार दी। शिवकिशोर (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जीप के आने पर वह पटरी के नीचे उतर गये थे। इस सुझाव को गलत बताया है कि पटरी पर गाड़ी स्लीप होने पर वे गिर गये थे। स्वतः कहा कि गाड़ी ने ठोस मारी तब गिर गये। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे साथ वालो ने बाद में बताया था कि गाड़ी का नंबर एमपी-48-सी-1000 था। घटना के समय गाड़ी कौन चला रहा था उसकी उसे जानकारी नहीं है।

15 साक्षी लक्ष्मीनारायण (अ.सा.-1) एवं शिवकिशोर (अ.सा.-2) ने वाहन क्र. एमपी-48-सी-1000 के चालक के द्वारा उनकी मोटर सायकिल में टक्कर मार दिया जाना बताया है। किसी भी साक्षी ने वाहन चालक के द्वारा वाहन को उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाया जाना नहीं बताया है। साथ ही साक्षी लक्ष्मीनारायण एवं शिवकिशोर ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय जीप को अभियुक्त बद्रीपाल चला रहा था इसकी जानकारी उन्हें बाद में पता चली थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से भी वाहन क्र. एमपी-48-सी-1000 के चालक के विरुद्ध रिपोर्ट लेख करायी गयी है। इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा

सकता कि घटना के समय वाहन जीप को अभियुक्त बद्रीपाल ही चला रहा था। साथ ही वाहन जीप को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाये जाने के संबंध में भी अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है और जिससे यह नहीं माना जा सकता कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा कमांडर जीप क्र. एमपी-48-सी-1000 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया गया हो।

### विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

16 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने कमांडर जीप क्र. एमपी-48-सी-1000 को उतावलेपन / उपेक्षापूर्वक ढंग से परिचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया। फलतः अभियुक्त बद्रीपाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18 प्रकरण में जप्तशुदा महिंद्रा जीप क्र. एमपी-48-सी-1000 सुपुर्ददार आशीष पिता राजेंद्र निवासी टिकारी बैतूल जिला बैतूल को तथा मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-बी-2073 फरियादी लक्ष्मीनारायण पिता रतनलाल मालवीय निवासी बडोरा बैतूल जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर दी गयी हैं। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामे भारहीन हो। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

19 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)